147

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

समक्षः- श्री एस0एस0अली

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 3630/18/नीमच/भू.रा. के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 17.04.2018 के द्वारा अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन के प्रकरण क्रमांक74/2017-18/अपील

सतीश चन्द्र पुत्र श्री चन्द्रप्रकाश खत्री
निवासी-भोपाल द्वारा मुख्त्यारआम कन्हैयालाल
पुत्र बेणीराम शर्मा निवासी - गैस गोदाम के पीछे
इन्द्रानगर नीमच जिला - नीमच (म.प्र.)

-- आवेदक

विरूद्ध

1 बद्रीलाल पुत्र श्री रामनारायण जी गोयल
निवासी - 246 तिलक मार्ग घंटाघर के पास
नीमच तहसील व जिला नीमच म.प्र.
2 राजेन्द्र प्रसाद पुत्र श्री रामनारायण गोयल
निवासी - गली नं. 4 मिडिल स्कूल रोड
शिवाजी मार्ग बंगला नं. 35 नीमच
तहसील व जिला नीमच म.प्र.
3 सुरेश चन्द्र पुत्र श्री कल्याणमल जी गोयल
4 अरूण कुमार पुत्र श्री कल्याणमल जी गोयल
5 ओमप्रकाश पुत्र श्री मन्नालाल गोयल
6 अशोक कुमार पुत्र श्री मन्नालाल गोयल
7 अरविन्द्र कुमार पुत्र श्री मन्नालाल गोयल
8 सुनील कुमार पुत्र श्री मन्नालाल गोयल
निवासीगण-253 तिलकमार्ग घंटाघर के पास
नीमच तहसील व जिला नीमच (म.प्र.)
9. मध्यप्रदेश शासन

-- अनावेदकगण

श्री के0के0द्विवेदी एवं धर्मेन्द्र चतुर्वेदी अभिभाषक आवेदक
अनावेदक क्रमांक 1 लगायत 8, एकपक्षीय
श्री मुकेश शर्मा, शासकीय अभिभाषक अनावेदक क्र.9

आदेश

(आदेश दिनांक 18/4/19 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग उज्जैन के प्रकरण क्रमांक 74/2017-18/अपील में पारित आदेश दिनांक 17.04.2018 के विरूद्ध म0प्र0 भू-राजस्व संहिता सन् 1959 की धारा 50 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी है।

2- प्रकरण का सारांश यह है कि पटवारी ग्राम कनावटी द्वारा तहसीलदार, तहसील नीमच के समक्ष प्रस्तुत रिपोर्ट में बताया गया कि ग्राम कनावटी की भूमि सर्वे कमांक 674 रकबा 2.090 हैक्टेयर के खसरे की प्रविष्टी गलत तरीके से गयी है। उक्त रिपोर्ट पर तहसीलदार नीमच द्वारा प्रकरण क्रमांक 262/बी-121/2016-17 दर्ज कर आदेश दिनांक 12.04.2017 से उक्त प्रविष्टी को हटाये जाने का आदेश पारित किया। इस आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, उपखण्ड नीमच के समक्ष अपील क्रमांक 89/2016-17 प्रस्तुत की गयी, जो पारित आदेश दिनांक 27.09.2017 से स्वीकार की जाकर तहसीलदार नीमच द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.04.2017 निरस्त किया गया। इस आदेश के विरूद्ध अनावेदक क्रमांक 1 लगायत 8 द्वारा द्वितीय अपील अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन के समक्ष प्रकरण क्रमांक 74/2017-18 प्रस्तुत की गयी थी, जो पारित आदेश दिनांक 17.04.2018 से स्वीकार की जाकर अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) उपखण्ड नीमच द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.09.2017 निरस्त किया गया। अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन के इसी आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गयी है।

3- निगरानी मैमो में उठाये गये आधारों आवेदक के अभिभाषक के तर्क सुने गये तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का विधिवत रूप से अवलोकन किया गया। अनावेदक क्रमांक 1 लगायत 8 के विरूद्ध प्रकरण में एकपक्षीय कार्यवाही की गयी है तथा अनावेदक क्रमांक 9 शासकीय अभिभाषक के तर्क सुने गये।

4- आवेदक, अभिभाषक द्वारा अपने तर्कों में बताया कि विचारण न्यायालय तहसीलदार नीमच द्वारा पटवारी के एकपक्षीय प्रतिवेदन के आधार पर आदेश दिनांक 12.04.2017 पारित किया गया है, जबकि एकपक्षीय प्रतिवेदन साक्ष्य में ग्राह्य योग्य ही नहीं है, इसके अतिरिक्त यह भी बताया गया कि विचारण न्यायालय तहसीलदार नीमच द्वारा आवेदक को सूचना, सुनवाई एवं साक्ष्य का विधिवत अवसर प्रदान किये बिना आदेश पारित किया गया है, जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के प्रतिकूल होने से प्रथमदृष्टि में अपास्त किये जाने योग्य है। इस संबंध में न्यायदृष्टांत-(2007)(2) एस.सी.सी.181 (2008)(14) एस.सी.सी. 151 तथा ए.आई.आर.1991 एस.सी.1216, ए.आई.आर.1981, एस.सी.136, 2004 आर.एन.342 एवं 2011 आर.एन.273 उच्च.न्याया. के प्रस्तुत किये हैं।

अभिभाषक द्वारा यह भी बताया गया कि विचारण न्यायालय के आदेश के विरूद्ध उनके द्वारा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) उपखण्ड नीमच के समक्ष अपील प्रस्तुत की गयी थी, जिसमें निवेदन किया गया था कि ग्राम कनावटी में स्थित उक्त भूमि पंजीकृत विक्रयपत्र क्र.1393 दिनांक 26.06.1979 द्वारा विक्रेता नाथूलाल पुत्र श्री कस्तूरबा भाट, निवासी कनावटी, तहसील नीमच से क्रय की गयी थी, जिसके आधार पर नामान्तरण क्र.62 दिनांक 03.07.1979 से स्वीकृत हुआ था तथा तभी से राजस्व अभिलेख खसरें में आवेदक का नाम दर्ज

चला आ रहा है, किन्तु पटवारी द्वारा दुर्भावनापूर्वक प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर तहसीलदार नीमच द्वारा जो आदेश पारित किया है, वह अपास्त किये जाने योग्य है। तहसीलदार नीमच ने अपने आदेश में उल्लेख किया है कि वर्ष 2022 से नकल बंटान व रकवें में मिलान का हवाला दिया गया है, जबकि खसरा संधारण एवं बंटान का कार्य पटवारी द्वारा किया जाता है, जिसमें आवेदक का कोई लेना देना नहीं होता है। उक्त कार्यवाही में आवेदक की कोई त्रुटि नहीं है। अभिलेख मिलान की उक्त कार्यवाही केवल आवेदक के विरूद्ध की गयी है, इससे ग्राम पटवारी एवं विचारण न्यायालय की दुर्भावना स्पष्ट होती है और इसी आधार पर अपीलीय न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.09.2017 से तहसीलदार नीमच की कार्यवाही तथा पारित आदेश दिनांक 12.04.2017 निरस्त किया है। उपरोक्त आदेश के विरूद्ध अनावेदक क्रमांक 1 लगायत 8 द्वारा द्वितीय अपील अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन के समक्ष प्रस्तुत की गयी थी, जिसमें आवेदक की ओर से बताया गया था कि वर्तमान प्रकरण में अनावेदकगण विचारण न्यायालय एवं अपीलीय न्यायालय के समक्ष पक्षकार नहीं थे और न ही उनके हित अपीलीय न्यायालय के आदेश से प्रभावित हो रहे थे। ऐसी स्थिति में उन्हें उक्त आदेश के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने की अधिकारिता ही नहीं थी और अपीलीय न्यायालय को ऐसे अप्रचलनीय अपील में आदेश पारित करने की अधिकारिता नहीं थी, ऐसी उपरोक्त स्थिति में जो आदेश द्वितीय अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित किया गया है, उसे अपास्त किया जाये एवं अंत में यह निवेदन किया गया कि अनुविभागीय अधिकारी, उपखण्ड नीमच के समक्ष जो अपील आवेदक की ओर से प्रस्तुत की गयी थी, उसके प्रार्थना खण्ड में यह निवेदन किया गया था कि ग्राम कनावटी की भूमि सर्वे क्रमांक 674 पे. रकवा 2.090 हैक्टेयर की प्रविष्टि पुनः खसरा पंचशाला में कराये जाने के आदेश प्रदान किये जाये। अपने तर्को के अंत में यह भी निवेदन

किया कि अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन द्वारा पारित आदेश अपास्त कर, तहसीलदार, तहसील नीमच को आदेशित किया जाये कि वह आवेदक का नाम ग्राम कनावटी की भूमि सर्वे क्रमांक 674 पें. रकवा 2.090 हैक्टेयर पर पूर्ववत दर्ज करें।

अनावेदक क्रमांक 1 लगायत 8 के विरूद्ध पूर्व में एकपक्षीय कार्यवाही की गयी है। अनावेदक क्रमांक 9 के तर्क सुने गये तथा अभिभाषक द्वारा अपने तर्को में बताया कि वर्तमान प्रकरण में जो आदेश अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन द्वारा पारित किया गया है, वह विधिवत एवं सही होने से स्थिर रखे जाने का निवेदन किया गया।

5. उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अवलोकन किया गया। तहसीलदार, तहसील नीमच के आदेश पत्रिका दिनांक 12.04.2017 के अवलोकन से स्पष्ट है कि ग्राम पटवारी कनावटी द्वारा प्रस्तुत तथाकथित प्रतिवेदन, रिपोर्ट के आधार पर कार्यवाही प्रारंभ की गयी है, जिसमें दिनांक भी अंकित नहीं है। उक्त रिपोर्ट पर तहसीलदार नीमच द्वारा प्रकरण क्रमांक 262/बी-121/2016-17 पंजीबद्ध कर प्रथम आदेश पत्रिका में ही आदेश पारित कर दिया है कि ग्राम कनावटी के सर्वे क्रमांक 674 रकवा 2.090 हैक्टेयर से आवेदक सतीश पुत्र श्री चन्द्रप्रकाश खत्री का नाम विलोपित किये जाने का आदेश पारित किया गया है। उक्त आदेश पारित करने से पूर्व हितबद्ध एवं आवश्यक पक्षकार को सुने बिना तथा उन्हें दस्तावेज प्रस्तुत करने का मौका दिये बिना ही आदेश पारित कर दिया गया है। तहसीलदार द्वारा की गयी उपरोक्त कार्यवाही निदंनीय है। आवेदक द्वारा अपील प्रस्तुत किये जाने की दशा में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपने आदेश दिनांक 27.09.2017 में स्पष्ट उल्लेख किया है कि ग्राम कनावटी की प्रश्नाधीन भूमि वर्ष 1970-71 लगायत

2002-03 एवं वर्ष 2006 लगायत 2016 तक की खसरा नकल वर्ष 1998-99 की खाता नकल पंजीकृत विक्रयपत्र क्रमांक 1393 दिनांक 26.06.1979 की फोटो प्रति एवं ग्राम कनावटी की नामांतरण पंजी क्र.62 दिनांक 26.06.1979 की छायाप्रति, जो आवेदक की ओर से प्रस्तुत की गई है, उनके अवलोकन से स्पष्ट है कि ग्राम कनावटी की प्रश्नाधीन भूमि सर्वे क्रमांक 674/3 रकवा 2.090 हैक्टेयर खसरा अभिलेख में वर्ष 1970-71 लगायत 1976-77 तक कस्तूरा पुत्र श्री पन्ना, निवासी ग्राम भूमिस्वामी के नाम दर्ज थी। भूमिस्वामी कस्तूरा भाट की मृत्य होने पर वर्ष 1977-78 में उक्त भूमि उसके पुत्र एवं वारिस नाथूलाल पुत्र श्री कस्तूरा भाट, निवासी कनावटी के नाम अंतरित हुयी। भूमिस्वामी नाथूलाल भाट के द्वारा उक्त भूमि पंजीकृत विक्रयपत्र क्रमांक 1393 दिनांक 26.06.1979 से क्रेता सतीशचन्द्र पुत्र श्री चन्द्रप्रकाश खत्री को विक्रय धन रूपये 8,000/- में विकय की गयी। उक्त पंजीकृत विक्रय के आधार पर ग्राम कनावटी की नामांतरण पंजी क्रमांक 62 में दिनांक 26.06.1979 को आदेश पारित कर आवेदक का नामातंरण स्वीकृत किया गया। प्रकरण में संलग्न खाता नकल वर्ष 1998-99 की खाता नकल के अवलोकन से उक्त प्रविष्टि की पुष्टि होती है। उक्त प्रविष्टि वर्ष 1979-80 से वर्ष 2014-15 तक वदस्तूर कायम रही। प्रकरण प्रत्रिका में संलग्न वर्ष 2015-16 एवं वर्ष 2016-17 की कम्प्यूराईज खसरा नकल के अवलोकन से स्पष्ट है कि खसरे के कॉलम नं.3 में आवेदक का नाम भूमिस्वामी स्वत्व पर अंकित चला आ रहा है। उक्त प्रविष्टि को बिना किसी वैधानिक अधिकार के विलोपित करते हुए भूमिस्वामी आवेदक के स्थान पर भू-राजस्व ''10.00'' अंकित कर दिया गया है, जो कर्त्तव्यों के निर्वहन में घोर लापरवाही है।

अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन की प्रकरण प्रत्रिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि अनावेदक क्रमांक 1 लगायत 8 विचारण न्यायालय में एवं प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष

पक्षकार नहीं थे और ना ही उनकी भूमि प्रभावित हो रही है क्योंकि अनावेदक क्रमांक 1 लगायत 8 की अन्य भूमि है, जिसका आवेदक की भूमि से कोई लेना-देना नहीं है। अनावेदक क्रमांक 1 लगायत 8 अपनी भूमि पर पूर्व से काबिज है तथा कास्त कर रहे हैं, उसके द्वारा अपने स्वत्व की भूमि में से कुछ भूमि का विक्रय वर्ष 2017-18 में किया गया है, इससे प्रमाणित है कि अनावेदकगण अपनी भूमि पर पूर्व से काबिज हैं। आवेदक एवं अनावेदकगण की भूमि के बीच में पक्की सड़क है जिससे दोनों की भूमियॉ पृथक-पृथक होने का स्पष्ट प्रमाण है। इस प्रकार आवेदक की भूमि से अनावेदक क्रमांक 1 लगायत 8 कोई सरोकार नहीं है क्योंकि आवेदक एवं अनावेदकगण की भूमि की चर्तुसीमा अलग-अलग है और इसी कारण आवेदक के विक्रयपत्र के आधार पर किये गये नामान्तरण में उनके द्वारा कोई आपत्ति नहीं की गयी है। उपरोक्त स्थिति में द्वितीय अपीलीय न्यायालय के समक्ष अक्षम व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत अप्रचलनीय अपील में जो आदेश पारित किया है, वह अधिकारितारहित आदेश है, ऐसी स्थिति में उसे स्थिर रखे जाने का कोई औचित्य नहीं है।

6. उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.04.2018 अपास्त किया जाता है एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) उपखण्ड नीमच द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.09.2017 स्थिर रखा जाकर तहसीलदार, तहसील नीमच को आदेशित किया जाता है कि वह आवेदक का नाम भूमि सर्वे क्रमांक 674 पे. रकवा 2.090 हैक्टेयर पर पूर्ववत दर्ज करें। वर्तमान निगरानी स्वीकार की जाती है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर